



Neutral Citation No.-2026:AHC:8412

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-43018 वर्ष 2024

नितेश कुमार ..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनुपम लालोरिया, सुशील चतुर्वेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अनुपम लालोरिया और राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-61 में धारा 302 भ०द०वि० के तहत, थाना-रेउना, जिला: कानपुर नगर, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। तथ्य के दो गवाहों यानी अ०सा०-1 और अ०सा०-2 की अदालत में जांच की गई है और उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। वे आईओ को दिए गए अपने पहले के बयानों और प्राथमिकी के आरोपों से पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। गवाहों को पक्षद्रोही घोषित करने के बाद लोक अभियोजक ने उनसे जिरह की है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले में दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि मृतक की दो कथित मृत्यु घोषणाएं हैं, जो सिखाई गई और परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। पहली मृत्युपूर्व घोषणा में, मृतक ने कहा है कि उसकी सास गिरजा देवी ने उसकी पीठ पर मिट्टी का तेल छिड़का और आवेदक के कहने पर मृतक के पति ने उसे आग लगा दी। हालांकि, दूसरी मृत्युपूर्व घोषणा में, यह कहा गया है कि पति घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और यह सास गिरजा देवी थी, जिसने पीछे से मिट्टी का तेल छिड़का था और आवेदक ने उसे आग लगा दी थी।

6. अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त मृत्युपूर्व घोषणाओं में स्पष्ट विसंगतियां उनकी अविश्वसनीयता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं और स्पष्ट रूप से आवेदक के झूठे निहितार्थ का संकेत देती हैं। इस तरह के सुधार और संस्करण में बदलाव का कारण यह है कि मृतक के पति के पास एक मजबूत बहाना था क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ एक विवाह समारोह में भाग लेने गया था और वहां उसकी उपस्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है।

7. अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मृतक ने दोनों मृत्युपूर्व बयानों में लगातार कहा है कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का गया था, जबकि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डीजल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि जांच के दौरान विवेचनाधिकारी ने 220 एमएल पेट्रोल बरामद किया है। मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल अलग-अलग पदार्थ हैं जिनमें अलग-अलग ऑक्टेन मूल्य, घनत्व और गंध होती है। कथित ज्वलनशील पदार्थ की प्रकृति के बारे में इस तरह की भौतिक विसंगतियां अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं और स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया है।

8. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक 22.04.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

9. तत्सम विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और मृतक की मृत्युपूर्व घोषणाओं में निहित



विरोधाभासी बयानों पर विचार करते हुए इस तथ्य से कि गवाह पक्षद्रोही गए हैं, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

11. आवेदक- नितेश कुमार, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 13, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)